प्रतिवेदन

# राष्ट्रीय संगोष्ठी

# “आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने के प्रयास”

## दिनांक – 09 अगस्त 2024

## समय- शाम 7 बजे से 8.30 तक

आयोजक

## आशा पारस फॉर पीस एंड हारमनी फाउंडेशन, भारत

## एवं वेद फाउंडेशन भारत

**राष्ट्रीय संगोष्ठी "आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने के प्रयास"**

दिनांक 09-08-2024 । आशा पारस फॉर पीस एंड हारमनी फाउंडेशन, भारत एवं वेद फाउंडेशन भारत द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर राष्ट्रीय संगोष्ठी : आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने के प्रयास विषय पर प्रो. आशा शुक्ला, पूर्व कुलगुरु, डॉ. बी. आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय एवं प्रबंध निदेशक, आशा पारस फॉर पीस एंड हारमनी फाउंडेशन, भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई । संगोष्ठी के मुख्य अतिथि प्रो. रमेश मकवाना विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर, गुजरात उपस्थित थे । मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. लक्ष्मीनारायण पयोधि लेखक एवं आदिवासी संस्कृति के विद्वान, भोपाल, मध्य प्रदेश थे। विषय विशेषज्ञ प्रो. कन्हैया त्रिपाठी चेयर प्रोफेसर, डॉ. अंबेडकर चेयर, केन्द्रीय विश्वविद्यालय पंजाब, भटिंडा , डॉ. सीमा अलावा, अतिरिक्त उपायुक्त, मध्य प्रदेश पुलिस, इंदौर द्वारा वक्तव्य प्रदत्त किया गया । स्वागत, प्रस्तावना वक्तव्य एवं संस्था परिचय डॉ. रामशंकर प्रधान संपादक, द एशियन थिंकर एवं सहायक प्राध्यापक, आई.आई.एम.टी. कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, नोएडा ने दिया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन लव चावड़ीकर, कार्यकारी प्रबंधक, आशा पारस फॉर पीस एंड हारमनी फाउंडेशन, भारत ने किया ।

संगोष्ठी में देश के अलग-अलग हिस्सों से शिक्षाविद, शोधार्थी, छात्र छात्राएं, मीडिया प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए ।

**डॉ. रामशंकर** द्वारा प्रस्तावना वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए कार्यक्रम की भूमिका सभी के समक्ष प्रस्तुत की और कहा आज का दिन हमारे लिए गौरव का दिन है और विश्व आदिवासी दिवस को हम मना रहे हैं। जल जंगल जमीन की रक्षा करने बाले प्रकृति प्रेमी हमारे आदिवासी भाई बहन हैं ।

डॉ. रामशंकर ने स्वागत वक्तव्य भी प्रस्तुत करते हुए सभी अतिथियों का कार्यक्रम में स्वागत किया एवं आयोजक संस्थाओं का विस्तृत परिचय से भी सभी को अवगत कराया।

**प्रो. कन्हैया त्रिपाठी** द्वारा आज विश्व आदिवासी दिवस पर विषय विशेषज्ञ के रूप में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए आदिवासी जीवन उनके जन जीवन, सभ्यता और संस्कार, सरोकारों पर बात की उन्होंने कहा आदिवासी समाज के लिए उनकी संस्कृति भाषा और उनकी परंपराओं को संरक्षित करने की, उनको सहेजने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि उनकी यह संस्कृति, भाषा और सभ्यता उन्हे एक अलग स्थान एक अलग दर्जा प्रदान करती है । उनके

लोकगीतों को सहेजने की आवश्यकता है। वह शुरुआत से ही प्रकृति प्रेमी रहे हैं और उनकी हर परंपरा, संस्कृति और लोकगीतों में प्रकृति का वर्णन देखने को मिलता है। आदिवासी समाज के बीच में जाकर हमें बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है।

इन विषयों पर लगातार काम हुआ है लेकिन फिर भी उनके सर्वांगीण विकास के लिए उनके बीच में जाकर उनके साथ घुल मिलकर काम करने का जरूरत है। हमें यह देखना होगा कि फाइव स्टार होटल से बाहर निकलकर हम उनके लिए काम करें, क्योंकि चार दिवारी में बैठकर उनके लिए काम करना संभव नहीं है उनकी समस्याओं का समाधान उनके बीच में जाकर ही होगा।

**डॉक्टर सीमा अलावा** ने आज विश्व आदिवासी दिवस पर विषय विशेषज्ञ के रूप में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए आदिवासी जीवन के बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण अनुभवों को केंद्र में रख कर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि जब वह अलीराजपुर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के तौर पर कार्य कर रहीं थीं तो उन्होंने आदिवासी समाज को बहुत करीब से देखा और अपने कार्य क्षेत्र का केंद्र विंदु भी बनाया। उन्होंने कहा

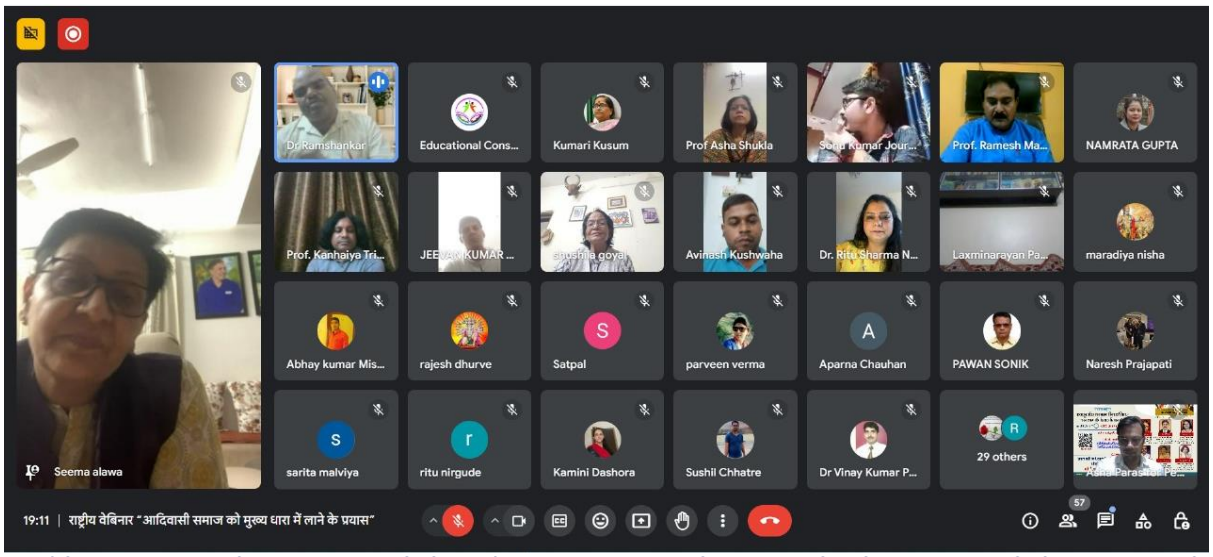


की मैंने डायन प्रथा को बहुत करीब से देखा है कि किस प्रकार से महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए, परिवार की संपत्ति से वंचित करने के लिए उन्हे सुनियोजित तौर पर डायन घोषित कर दिया

जाता है और यह सबसे खराब बात है कि यह काम उन स्त्रियों के परिवार के ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। समाज में डायन प्रथा एक कुरीति के रूप में स्थापित हैं। डॉ. सीमा अलावा कहती हैं कि आदिवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने की बहुत आवश्यकता है और बहुत सी बातें हमें भी आदिवासी समाज से सीखने की जरूरत है। हमें सीखना होगा कि किस प्रकार से हम प्रकृति समाज और संस्कृति को बचा सकते हैं। उन्होंने एक और अनुभव साझा करते हुए कहा कि आज सबसे बड़ी समस्या आदिवासी भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर सिकल सेल्स की है। सिकल सेल्स बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। यदपि हमारा विज्ञान इस पर कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा गति से इस पर कार्य करने की आवश्यकता है क्योंकि देखने में पाया जाता है कि हर तीसरे चौथे आदिवासी परिवार में किसी ने किसी एक को व्यक्ति को सिकल सेल्स की गंभीर समस्या और शायद यह आनुवंशिकता में भी मिला हुआ है। डॉ. अलावा ने एट्रोसिटी एक्ट, पेसा एक्ट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर विस्तार से बात करते हुए अनुभवों को साझा किया।

**डॉ लक्ष्मी नारायण पयोधि** ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि आज का यह विमर्श आदिवासी समुदायों को मुख्यधारा में लाने के प्रयासों पर केन्द्रित है। इस विषय पर चर्चा के लिये हमें तीन प्रमुख बिन्दुओं पर विचार करना होगा : पहला-आदिवासी समुदाय, दूसरा-मुख्यधारा और तीसरा है-इन समुदायों के विकास के लिये विभिन्न स्तरों पर किये जा रहे प्रयास। अब हम इन तीनों मुख्य घटकों पर क्रमश: विचार करते हैं-

1. आदिवासी अथवा जनजाति समुदाय - विश्व के अनेक देशों में Indigenous Peoples हैं,जो अपनी पारंपरिक जीवनशैली और सांसकृतिक विरासत के साथ अपने-अपने भूभागों में रहते हैं। इन्हें ही हम आदिवासी अथवा जनजाति समुदायों के रूप में जानते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में आदिवासी समुदायों की आबादी है। जीवनशैली और सांस्कृतिक परंपराओं की भिन्नता के कारण प्रत्येक जनजाति की अलग पहचान है। जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से मध्यप्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनजातीय जनसंख्या का 14.64% मध्यप्रदेश में है। यह आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का 21.09% है। इस राज्य में 43 अनुसूचित जनजातियाँ अथवा उनके समूह हैं,जिनमें भौगोलिक विशेषताओं के अनुरूप जीवन-पद्धति और सांस्कृतिक परंपराओं में वैविध्य देखा जा सकता है। इन समुदायों का यह जीवनगत और सांस्कृतिक वैविध्य हम जिसे मुख्यधारा मानते आ रहे हैं,उससे मेल नहीं खाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित

जनजातियों को ऐसी आदिवासी जाति,या आदिवासी समुदाय,या इन आदिवासी समुदायों का भाग,या उनके समूह के रूप में ,जिन्हें इस संविधान के उद्देश्य के लिये अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियाँ माना गया है,परिभाषित किया गया है।

भारत में आरंभ से ही नागर और ग्राम्य सभ्यताओं के समानांतर वनवासी सभ्यता रही है। यह त्रि-स्तरीय सामाजिक संरचना रही है। अधिकांश आदिवासी अथवा जनजाति समुदाय अब भी वनों के निकट गाँवों अथवा वनों में ही रहते हैं। इसका प्रमुख कारण आजीविका के स्रोतों की सहज उपलब्धता है। वनों में पारंपरिक शैली के आवासों में रहकर मूल रूप से वनोपज पर आश्रित होने के कारण आदिवासी वनवासी होकर रह गये हैं। उनकी यह जीवनशैली और उसके आधार पर चिन्हित सभ्यता शहरी अथवा मुख्यधारा की जीवनशैली और सभ्यता से मेल नहीं खाती है।

2. मुख्यधारा - विज्ञान में धारा आवेशित कणों का प्रवाह है। जल में प्रवाह होता है और यह प्रवाह धारा के रूप में होता है। हमें नदियों में एक प्रमुख धारा और उससे अलग अनेक अन्य पतली धाराएँ दिखायी देती हैं। उनमें जो मोटी धारा होती है,उसे हम मुख्यधारा कहते हैं। पतली धाराएँ अलग-थलग पड़ी रहकर ग्रीष्म के ताप से सूख जाती हैं। सूखने से बचाने के लिये इन्हें मुख्यधारा तक लाना होता है।यही सिद्धांत किसी समाज अथवा राष्ट्र के लोगों पर भी लागू होता है।आज हम मुख्यधारा किसी समाज,देश,या किसी संगठन के उस बहुसंख्यक समूह को कहते हैं,जिनकी मान्यताएँ और धारणाएँ,विचार और व्यवहार आदि उस परिवेश के लिये सामान्य और मानक समझे जायें।इन्हीं मानदण्डों के आधार पर ख़ासतौर पर भारत में आदिवासी अथवा जनजाति समूहों को मुख्यधारा से अलग मानकर उन्हें उसमें शामिल करने के प्रयासों की आवश्यकता का अनुभव किया जाता रहा है।

3. मुख्यधारा में शामिल करने के प्रयास - भारत में देश की आज़ादी के बाद संविधान में निहित संकल्प को ध्यान में रखते हुए पहली पंचवर्षीय योजना में आदिवासी समुदायों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करते हुए उनके जीवन-स्तर में बदलाव लाने के उद्देश्य से सामुदायिक विकास-कार्यक्रम आरंभ किये गये।इन कार्यक्रमों के ज़रिये जनजाति समुदायों के लिये विकास के ये चार क्षेत्र चिह्नित किये गये :

1. शैक्षणिक विकास
2. आर्थिक विकास
3. सामाजिक विकास
4. सांस्कृतिक विकास

शिक्षा किसी भी समुदाय,समाज अथवा देश के विकास की रीढ़ है।जब कोई व्यक्ति शिक्षित होता है तो वह अपनी प्रतिभा और उद्यम से आर्थिक विकास के मार्ग खोजकर उस पर चल पड़ता है।आर्थिक रूप से समृद्ध होकर वह अपने समुदाय के मार्फ़त समाज और अंतत: एक इकाई के रूप में देश की उन्नति का कारक बनता है और इस प्रकार वह अपनी पारंपरिक संस्कृति के सकारात्मक मूल्यों को धारण कर उन्हें आगे ले जगने में समर्थ होता है।

स्वतंत्र भारत में संविधान में निहित प्रावधानों और बाध्यताओं के कारण अनुसूचित जाति और जनजातियों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिये पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास किये गये,परंतु क्रियान्वयन के स्तर पर अनेक कमियों के कारण अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ सके।फलस्वरूप आज भी विकास में पीछे रह गये जनजाति समुदायों को मुख्यधारा में लाने के प्रयासों पर हमें चर्चा करनी पड़ रही है।

जनजाति समुदायों की शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करते हुए मध्यप्रदेश में 1964-65 में आदिवासी शिक्षा का संचालन आदिमजाति कल्याण विभाग को सौंपा गया।इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आये हैं।इसके बावजूद आज़ादी

के 75 वर्ष बाद भी जनजातीय क्षेत्रों के लोग अशिक्षा के अभिशाप से मुक्त नहीं हुए हैं,जिससे उनक मुख्यधारा में आने के सारे मार्ग अवरुद्ध हैं।

**प्रो. रमेश मकवाना** ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी बात को सभी के समक्ष रखते हुए कहा कि आदिवासी समाज इस प्रकृति का इस जग का मूल निवासी है और उसी ने इस प्रकृति को संस्कृति को आज बचाए रखा हुआ है। उन्होंने काका कालेलकर, एलविन कमेटी का विस्तार से जिक्र करते हुए आदिवासी समाज की स्थिति को सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के लिए कई सारे काम हुए हैं कई योजनाओं का निर्माण हुआ है और उनका लाभ उन्हें मिल भी रहा है लेकिन अगर जमीन पर जाकर देखा जाए तो आज भी देखने में पाया जाता है कि उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो सका है। हमें हमारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उनके सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक-शैक्षणिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से उनके विकास को देखते हुए इसमें महती योगदान की आवश्यकता है

हमें देखना होगा कि उनका स्वास्थ्य बेहतर कैसे हो पाए और वे मुख्य धारा में कैसे आ पाएं। आदिवासी समाज की समस्याओं को पहचानने के लिए हमें निरंतर काम करने की आवश्यकता है और उनके बीच में जाकर काम करने की आवश्यकता है। जब तक हम उनके बीच में नहीं जाएंगे तब तक उनकी समस्या को ठीक से नहीं पहचान पाएंगे और जब तक समस्या को नहीं पहचान पाएंगे, तब तक समाधान नहीं हो सकता। यह आवश्यक हो जाता है कि उनकी समस्या को पहचानने के लिए उनके बीच में जाया जाए और समस्या को पहचाना जाए। और समस्याओं को पहचान कर उसके समाधान पर कार्य किया जाए। प्रोफेसर मकवाना ने आगे कहा कि हम सभी के बीच में आदिवासी समाज के विकास के आंकड़े यह दिखाते हैं कि किस प्रकार उनके विकास के लिए काम हुआ है। उन्होंने इन आंकड़ों को सभी के समक्ष विस्तार से रखा। आदिवासी समाज की साक्षरता को देखते हुए और उनके कृषि में हो रहे विकास को देखते हुए उनके रोजगार की समस्या पर अपने तथ्य रखे। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य है कि अधिकांश लोग आदिवासी क्षेत्रों में काम करना नहीं चाहते है। नौकरी करने के लिए तैयार नहीं है यह बड़ा चिंता का विषय है और हमें लोगों को जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है उन्होंने इस सब के लिए एक सिस्टम बनाने और उसको बचाने की आवश्यकता पर बाल दिया। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है जिसके चलते कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। योजनाओं का लाभ 100% उनको मिल पाए, उनका क्रियान्वयन जमीन पर हो पाए, फंड की उपलब्धता हो सके, उनकी माइग्रेशन की समस्या खत्म हो सके तब जाकर कहीं हम कह सकते हैं कि उनके सर्वांगीण विकास में

एक महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। आज जरूरत है कि उनके लोकल उत्पाद को सही बाजार मूल्य पर मार्केट तक लाया जा सके।

**प्रो. आशा शुक्ला** द्वारा अध्यक्षीय वक्तव्य प्रदत्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कई सारे ऐसे अनुभवों को देखा है अनुभव को प्राप्त किया है जिसमें यह कहा जा सकता है कि हमारे आदिवासी भाई बहन ही प्रकृति के सच्चे प्रेमी हैं, उन्होंने शुरुआत से ही प्रकृति संरक्षण को एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया हुआ है उनकी संस्कृति को, उनकी परंपराओं को अगर गौर से देखा जाए तो उनमें प्रकृति पूजा ही सर्वोपरि होती है। प्रोफेसर शुक्ला ने बताया कि केन्या के मसाई मारा भ्रमण के दौरान मसाई आदिवासियों से आपसी संवाद किया और उनकी परम्पराओं को जाना

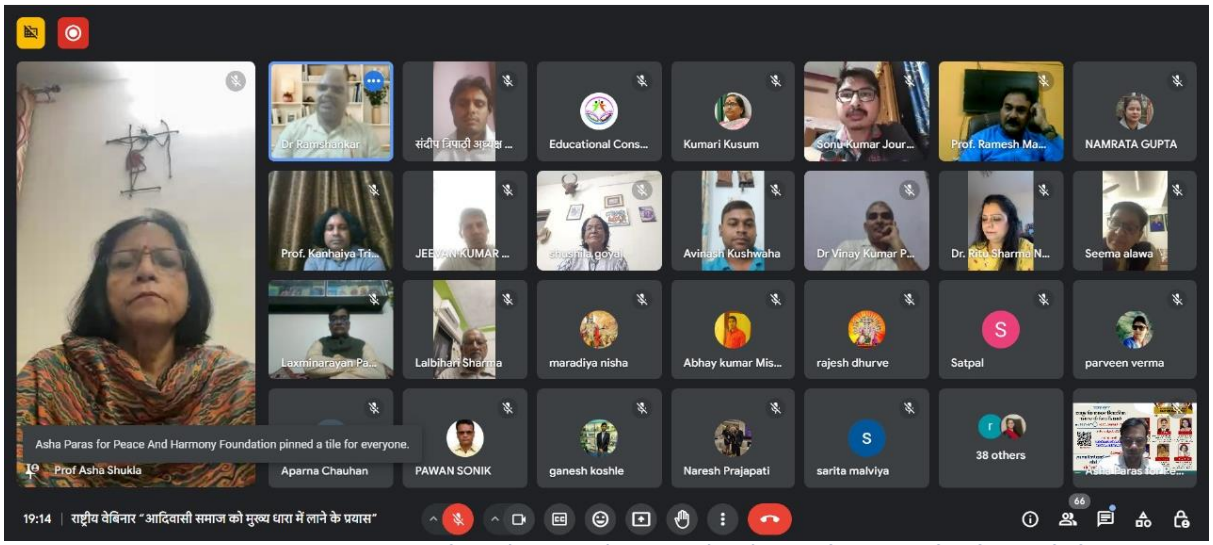


तब लगा कि पूरी दुनिया का आदिवासी भोला है, सरल है, सहज है और अपने परंपराओं को बचाने के लिए कृत संकल्पित है। मसाई आदिवासियों के घरों के दरवाजे छोटे होते हैं ताकि उनमें कोई बड़ा जानवर न घुस सके, वे भी पत्थरों से आग जलाते हैं, विशिष्ट प्रकार के नृत्य करते हैं आभूषण पहनते हैं और अगर पति दूसरा विवाह करना चाहे तो उसे अपनी पहली पत्नी को भरण पोषण के लिए 6 दुधारू भैंसे देनी होती हैं। उनकी शिक्षा का स्तर थोड़ा बेहतर है। प्रो. शुक्ला ने कहा कि हम आज भी समाज व्यवस्था में नहीं समुदाय व्यवस्था में प्रस्तुत हैं और इसीलिए अपने आप को जाती वर्ण लिंग धर्म के खाँचो में प्रस्तुत करते हैं। और इसी बटवारे के आधार पर हम व्यवहार करते हैं जिसमे हमारी सामाजिक- आर्थिक स्थितियों की प्रमुख भूमिका होती है। हम सब यह भूल बैठे हैं कि इस जीवन में हम सिर्फ मनुष्य के तौर पर आए हैं और जिस किसी के भी साथ हमारा व्यवहार भेदभाव पूर्ण है वे भी मनुष्य ही हैं। हम प्रकृति और मानवता से दूर होने के कारण इतना धैर्य नहीं रख पाते कि किसी अन्य की समस्याओं को समझ सकें। हमें हमारे आदिवासी भाई बहनों के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे मानवी मूल्यों को पहचानने की आवश्यकता है और हमारे कर्तव्य को पहचानने की भी आवश्यकता है। तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद ये हमारी जिम्मेदारी है हम किस प्रकार से आदिवासी समाज के विकास में भूमिका अदा कर सकते हैं। प्रोफेसर शुक्ला ने आगे अपनी बात को रखते हुए कहा कि हमारी दोनों संस्थाएं शुरुआत से ही संकल्पित हैं समाज के सर्वांगीण विकास के लिए।

अंत में लव चावड़ीकर द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों का विषय विशेषज्ञों का एवं प्रतिभागियों का दोनों संस्थाओं की तरफ से आभार व्यक्त किया

**आशा पारस फॉर पीस एंड हारमनी फाउंडेशन, भारत एवं वेद फाउंडेशन, भारत द्वारा आयोजित ऑनलाइन राष्ट्रीय संगोष्ठी**

# "आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने के प्रयास"

**दिनांक – 9 अगस्त 2024, समय – शाम 7 से 8.30 बजे तक**

## कार्यक्रम की रूपरेखा

| | | |
|---|---|---|
| 7.00 से 7.10 | स्वागत, प्रस्तावना वक्तव्य एवं संस्था परिचय | **डॉ. रामशंकर**<br>प्रधान संपादक, द एशियन थिंकर<br>सहायक प्राध्यापक, आई.आई.एम.टी. कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, नोएडा |
| 7.10 से 7.25 | विषय विशेषज्ञ वक्तव्य | **प्रो. कन्हैया त्रिपाठी**<br>चेयर प्रोफेसर, डॉ. अंबेडकर चेयर, केन्द्रीय विश्वविद्यालय पंजाब, भटिंडा |
| 7.25 से 7.40 | | **डॉ. सीमा अलावा**<br>अतिरिक्त उपायुक्त, मध्य प्रदेश पुलिस, इंदौर |
| 7.40 से 8.00 | मुख्य वक्तव्य | **डॉ. लक्ष्मीनारायण पयोधि**<br>लेखक एवं आदिवासी संस्कृति के विद्वान, भोपाल, मध्य प्रदेश |
| 8.00 से 8.20 | मुख्य अतिथि वक्तव्य | **प्रो. रमेश मकवाना**<br>**विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर, गुजरात** |
| 8.20 से 8.30 | अध्यक्षीय उद्बोधन | **प्रो. आशा शुक्ला,**<br>पूर्व कुलगुरु, डॉ. बी. आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय<br>प्रबंध निदेशक, आशा पारस फॉर पीस एंड हारमनी फाउंडेशन, भारत |
| 8.30 पर | धन्यवाद ज्ञापन | **लव चावड़ीकर,**<br>कार्यकारी प्रबंधक, आशा पारस फॉर पीस एंड हारमनी फाउंडेशन, भारत |

**कार्यकारी प्रबंधक**

**आशा पारस फॉर पीस एंड हारमनी फाउंडेशन, भारत**